

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 01/स्था.-66/2006ज.सं. खण्ड-I...../राँची, दिनांक

कार्यालय आदेश

श्री दीपक कुमार सिन्हा, अधीक्षण अभियंता, नहर एवं नहर संरचना अंचल, राँची को विभागीय आदेश ज्ञापांक-5794 दिनांक 11.10.2012 द्वारा विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग के तकनीकी सलाहकार के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। तत्काल प्रभाव से श्री दीपक कुमार सिन्हा की तकनीकी सलाहकार के रूप में प्रतिनियुक्ति को समाप्त की जाती है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
3. उक्त प्रस्ताव पर प्रधान सचिव महोदय का आदेश प्राप्त है।

ह./-
(विनय कुमार दास)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-

4480

राँची, दिनांक :-

8-8-13

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ अभियंता-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ वेब इन्फार्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ श्री दीपक कुमार सिन्हा, अधीक्षण अभियंता, नहर एवं नहर संरचना अंचल, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विनय कुमार दास
(विनय कुमार दास)
सरकार के अवर सचिव।